

17-01-2023

पत्रावली पेश हुई। पार्थी के वकील उपस्थित।
अपार्थी सं. 1 (एच) के वकील उपस्थित। पार्थी
के वकील ने इस मिगारानी आवेदन को पुनः
पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते
हुए Not Press किया है अतः पार्थी का
यह मिगारानी आवेदन जरिये Not Press
स्वार्ज किया जाता है। निर्णय सुनाया
गया। पत्रावली फैसले सुनार दोषक नम्बर
से प्राप्त है। d

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुनः पत्रा वरके के
अधिकार को
सुरक्षित रखते
Not
Dressed
17/1/2023

